R. G. Gupta
Chairman & Managing Director

Jaipur Vidyut Vitran Nigam Lt
Vidyut Bhawan, Jan Pa
Jaipur-302 0(

Chairman • Ajmer Vidyut Vitran Nigam Limited • Jodhpur Vidyut Vitran Nigam Limited

JPR5-485

क्रमांक / जडि / मुअ(वा) / सी– I / एफ4(210) / पार्टXVI / प्रे.1934 दिनांक 28.07.08

– : आदेश :–

विषय :– ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य घरेलू श्रेणी के कनेक्शन के आवेदको एवं "मुख्यमंत्री सब के लिये विद्युत योजना" के अन्तर्गत घरेलू श्रेणी के आवेदकों की अलग–अलग प्राथमिकता रखने के सम्बन्ध में ।

माननीय मुख्य मंत्री महोदया, राजस्थान के बजट भाषण 2008–09 में " मुख्य मंत्री सब के लिये विद्युत योजना" की घोषणा के अनुरूप तैयार की गई योजना की क्रियान्विति के लिये निगम ने आदेश क्रमांक 1145 दिनांक 29.4.08 (जेपीआर5–466) एवं आदेश क्रमांक 405 दिनांक 3.5.08 (CO-VI) द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गये थे। इसके अन्तर्गत प्रथम चरण में 30 जून,2008 तक आवेदन स्वीकार किये गये थे इस अवधि को आदेश क्रमांक 1708 दिनांक 2.7.08 (जेपीआर5–481) के द्वारा 31 जुलाई 2008 तक बढा दिया गया है ।

इस योजना के अन्तर्गत निगम को काफी मात्रा में आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस सम्बन्ध में यह बताया गया है कि इनमें से ज्यादातर आवेदकों की प्राथमिकता सामान्य घरेलू श्रेणी के आवेदकों से काफी नीचे है । सामान्य घरेलू कनेक्शन जारी करनें में अधिक समय लगने की वजह से " मुख्य मंत्री सब के लिये विद्युत योजना" के आवेदकों को कनेक्शन जारी नहीं हो पा रहे हैं ।

इस विषय पर विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त योजना के आवेदको एवं सामान्य घरेलू कनेक्शन के आवेदकों की अलग–अलग प्राथमिकता रखी जावे। इससे इस योजाना के अन्तर्गत कनेक्शन जल्द से जल्द जारी करने में सहायता मिलेगी।

उपरोक्त निर्देश तीनों वितरण निगमों में लागू होगें।

आज्ञासे,

(आर.जी.गुप्ता)
अध्यक्ष,डिस्कॉम्स

C:\Documents and Settings\jaipurdiscom\My Documents\MEENA\Order.doc